प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (श्रमिक) संख्या 797/2011</u>

<u>याचिकाकर्ता /</u>आवेदक सुखराज

बनाम

<u>उत्तरवादी/</u> अनावेदक वन मण्डलाधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेशों कि उद्घोषणा हेतु प्रेषित है।

सही/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रमिक) संख्या 797/2011

याचिकाकर्ता /आवेदक सुखराज

बनाम

उत्तरवादी/ अनावेदक वन मण्डलाधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री न्यायाधीश

प्रस्तुत :- याचिकाकर्ता की ओर से श्री एच.बी.अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री सरीना खान अधिवक्ता

श्री ए.वी.श्रीधर राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता

(दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को उद्घोषणा किया गया ।)

1. पक्षकरों के विद्वान अधिवक्ताओं को श्रवण किया गया ।

2. प्रस्तुत याचिका में श्रम न्यायालय, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 20-7-2010 को पारित निर्णय (अनुलग्नक –पी/6) को चुनौती दी गई है, जो वाद क्रमांक 95/आईडी एक्ट रिफरेन्स/2008 (सुखराज बनाम वन मण्डलाधिकारी) में दिया गया था, वाद का आधार यह है कि श्रम न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि याचिकाकर्ता कर्मचारी ने विगत वर्ष में 240 दिन काम किया था, क्योंकि उत्तरवादी /नियोक्ता ने याचिकाकर्ता के इस कथन का खंडन करने के लिए उपस्थिति पंजी प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने 240 दिन काम किया था। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक रूप से, आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के पश्चात वाद को श्रम न्यायालय को वापस भेजा जाए ताकि वह पुनर्विचार करके यह निष्कर्ष दर्ज करें कि याचिकाकर्ता ने विगत वर्ष में 240 दिन काम किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि उसकी नियुक्ति उत्तरवादी/ विभाग में कब और कैसे हुई थी तथा सेवा समाप्त होने पर कब याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष विवाद उठाया । बदले में उप श्रम आयुक्त ने विवाद को निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया कि:

"क्या सुखराज पिता अखलहू को हटाना विधिक और युक्तियुक्त है? यदि हाँ, तो याचिकाकर्ता किस प्रकार की अनुतोष पाने का हकदार है?"

4. श्रम न्यायालय ने दिनांक 20-7-2010 के आक्षेपित निर्णय में,पक्षों के दावों और प्रतिदावों पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने एक वर्ष में 240 दिन काम किया है। याचिकाकर्ता ने इसके अतिरिक्त कि नियोक्ता उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करता था को साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य या सहकर्मी या कोई अन्य दस्तावेज जैसे कि, वेतन भुगतान पर्ची या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 240 दिन काम किया माना जा सके।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. श्रम न्यायालय ने उप श्रम आयुक्त द्वारा किये गए संदर्भ को इस आधार पर खारिज कर दिया कि,चूँकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने 240 दिनों तक काम किया था, इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई.डी.एक्ट, 1947") की धारा 25 के प्रावधनों के अनुपालन के संबंधित प्रमाणिक प्रश्न नहीं उठता है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्रवाल और अधिवक्ता सरीना खान ने यह तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप

में"अधिनियम,1872") की धारा 114 (छ) की प्रावधनों के अंतर्गत यदि नियोक्ता उपस्थिति पंजी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो लाभ कर्मचारी या इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में माना जाना चाहिए, अतः आक्षेपित निर्णय विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री श्रीधर ने यह तर्क दिया कि कर्मचारी ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, कि उसने जांच में उपस्थिति पंजी की मांग की थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. याचिकाकर्ता ने अस्पष्ट बयान दिया है कि उसने 1988 से 1999 तक नियमित रूप से काम किया, इस प्रकार उसने एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य दिवस पूरे किए। अपने बयान में याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह नियमित कर्मचारी नहीं था। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि उसे 1991 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उसने विवाद को 2-3 वर्ष के बाद उठाया।

9. वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी पांडुरंग साव जी, से उनकी ओर से परीक्षण की गई। उन्होंने बयान दिया कि अपनी सेवाकाल में वर्ष 1978 में जब खैरागढ़ में पदस्थ थे, तब उन्होंने याचिकाकर्ता की उपस्थिति दर्ज की थी और याचिकाकर्ता ने 240 दिनों से अधिक कार्य किया था। प्रश्न पूछे जाने पर, पांडुरंग साव जी, स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया, कि उनके पास इस बयान के समर्थन में कोई दस्तावेज है। वे यह दर्शाने वाला कोई दस्तावेज भी

प्रस्तुत करने में विफल रहे की वर्ष 1978 के पश्चात उनकी पदस्थापना गंडई वृत्त में हुई थी।उनका बयान विश्वसनीय नहीं था।

10. याचिकाकर्ता का सम्पूर्ण वाद यह है कि नियोक्ता उपस्थिति सूची प्रस्तुत करने में विफल रहा है इसलिए याचिकाकर्ता का बयान जो दस्तावेजों और अन्य विश्वसनीय गवाहों साक्षियों द्वारा समर्थित नहीं है, को अंतिम माना जावें और श्रम विभाग को यही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए था, कि याचिकाकर्ता ने 240 दिनों तक काम किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यद्यपि दिनांक 14-7-2009 को श्रम न्यायालय ने नियोक्ता को याचिकाकर्ता के संबंध में 1988-1999 की अवधि के उपस्थिति पंजी और वेतन भुगतान वाउचर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, परन्तु उसी के आधार पर औद्योगिक विवाद मामलों में याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

12. श्री अग्रवाल का यह अभिवचन है की याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1872 की धारा 114 (छ) के प्रावधनों का लाभ दिया जाना चाहिए था, निराधार हैं, क्योंकि अधिनियम, 1872 के प्रावधान औद्योगिक विवादों या अनुशासनात्मक कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टान्त ***गोपाल कृष्ण जी केतकर बनाम मोहम्मद हाँजी लतीफ और अन्य***[1] **मामले** का अवलंब लिया, जिसमें वाद लोक न्यास अधिनियम की धारा 18 के प्रावधनों के अंतर्गत था सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

> **"6. वस्तुतः न्यायमूर्ति शाह ने न्यायालय की ओर बोलते हुए कहा:**
>
> " न्यायिक समिति की टिप्पणियां इस तथ्य का समर्थन नहीं करती कि, जब तक किसी पक्ष को स्पष्ट रूप से दस्तावेजों का शपथपत्र देने के लिए न कहा जाए और दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रस्तुति की मांग न की जाए, तब तक न्यायालय, अपने कब्जे में मौजूद साक्ष्य को छिपाने वाले पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकता ऐसा नियम साक्ष्य अधिनियम, की धारा 114 के दृष्टान्त (छ) और साथ ही कई अन्य मतो के विपरीत हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ***बी.एस.एन.एल. और अन्य बनाम महेश चंद***[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिया:

---

[1] ए.आई.आर.1968 एस.सी.1413

[2] (2008) 3 SCC 474

"8. इस प्रश्न पर कि क्या उत्तरवादी ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिन काम किया था, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से नियोक्ता पर इसके विपरीत साबित करने का भार डाला हैं, कि उसने ऐसा नहीं किया हैं। यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत हैं।"

9. "7. अनेक मामलों में दायित्व निर्वाह से संबंधित विधि की स्थिति स्पष्ट की गई है। ***रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी. हादिमनी*** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया था: (एससीसी पृष्ठ 26, कंडिका 2-3)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस मामले में, श्रम न्यायालय में यह विवाद उठाया गया कि उत्तरवादी ने 240 दिन काम किया था और उसे छंटनी मुआवजा दिए बिना, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि उत्तरवादी ने 240 दिन काम नहीं किया था।न्यायाधिकरण ने 10-8-1998 के अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला कि छंटनी मुआवजा दिए बिना सेवा समाप्त कर दी गई थी। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उत्तरवादी ने 240 दिन काम किया था, न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रबंधन पर यह साबित करने का

भार था की सेवा समाप्ति युक्तियुक्त थी और कर्मचारी का शपथपत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 दिन काम किया था।

3. हमारे दृष्टिकोण के अनुसार यह प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है कि अपीलकर्ता एक उद्योग है और यह यद्यपि इस संबंध में ***गुजरात राज्य बनाम प्रथमसिंह नरसिंह परमार*** मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंबन लिया गया है हमारी विचार में न्यायाधिकरण ने प्रबंधन पर दायित्व डालने में गलती की जबकि पहले ठोस साक्षियों के आधार पर यह निर्धारित किया जाना आवश्यक था, कि उत्तरवादी ने बर्खास्तगी से पूर्व वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया था। दावेदार का दावा था कि उसने कार्य किया था लेकिन अपीलकर्ता ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात दावेदार को यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना था, कि उसने वास्तव में बर्खास्तगी से पूर्व वर्ष में 240 दिनों तक कार्य किया था। शपथपत्र दाखिल करना केवल उसके पक्ष में ही उसका स्वयं का बयान है और इसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता, कि किसी श्रमिक ने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिनों तक कार्य किया था। श्रमिक द्वारा 240 दिनों के वेतन या मजदूरी की प्राप्ति का कोई प्रमाण या इस अवधि के लिए नियुक्ति यह कामगार का कोई आदेश या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल इसी आधार पर निर्णय अपास्त किया जा सकता है। यद्यपि विभाग की ओर से उपस्थित श्री हेगड़े का कथन है की राज्य वास्तव में विधि को स्पष्ट करने में रुचि रखता है और उत्तरवादी को अनुकंपा के आधार पर उन्हीं शर्तों पर रोजगार दिया जाएगा जिन पर उसे बर्खास्तगी से पहले आज से दो महीने के भीतर कथित तौर पर काम पर रखा गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त निर्णय का अनुसरण एसन डेनकी बनाम राजीव कुमार के मामले में किया गया था।

8. राजस्थान स्टेट गंगानगर एस. मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कंडिका 6 में स्थिति को पुनः निम्नलिखित इस प्रकार दोहराया गया: (एससीसी पृष्ठ 163)

"6. कामगार का दावा था कि उसने संबंधित वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया था। अपीलकर्ता ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया । दावेदार को यह साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने थे, कि उसने वास्तव में अपनी बर्खास्तगी से पूर्व वाले वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। उसने एक शपथपत्र दाखिल किया है। केवल उसका अपना बयान ही उसके पक्ष में है और इसे, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता की वास्तव में दावेदार ने एक वर्ष में 240 दिन काम किया था। इन पहलुओं को ***रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी. हादीमनी*** मामले में उजागर किया गया था।240 दिनों के वेतन या मजदूरी की प्राप्ति का कोई पावती साक्ष्य या इस संबंध में कोई आदेश या अभिलेख पेश नहीं किया गया था। किसी विशेष अवधि के लिए उपस्थित पंजी पेश न करना ही श्रम न्यायालय के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि कामगार ने दावा किए गए अनुसार 240 दिनों तक काम किया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ***म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद बनाम श्री निवास*** मामले में यह माना गया कि यह साबित करने का भार

कामगार पर था कि वह अपनी कथित छंटनी से पहले पिछले एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक समय तक काम कर रहा था। मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम हरिराम मामले में कंडिका 11 में स्थिति को पुनः दोहराया गया जैसा कि निम्नलिखित है: (एससीसी पृष्ठ 250)

11. उपर्युक्त दायित्व का निर्वहन, न होने और श्रम न्यायालय द्वारा ऐसा माने जाने के कारण हमारी विचार में, औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने केवल त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर बहाली का आदेश देकर त्रुटि की है। इस स्तर पर इस न्यायालय के ***म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद बनाम श्री निवास*** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है जिसमें इस न्यायालय ने कुछ प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की थी। इस संबंध में न्यायालय ने यह कहा था: (एससीसी पृष्ठ 198,कंडिका 15)

"15. वैध आदेशिका यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जहाँ भारतीय साक्ष्य, अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, यह मान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकती है या नहीं मान सकती है कि यदि किसी पक्ष में सर्वोत्तम साक्ष्य होने के उपरांत उसे प्रस्तुत नहीं किया हो तो यह उसके दावों के विरुद्ध जाता। यद्यपि न्यायालय के निर्देश के अनादर से साक्ष्य को रोके जाने की स्थिति अलग होगी। साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की धारणा हमेशा वैकल्पिक होती है और जिन कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उनमें से एक है वाद से संबंधित तथ्यों की पृष्ठभूमि, इसलिए यह धारणा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत न करने के बावजूद अन्य परिस्थितियां भी हो सकती है, जिनके आधार पर ऐसे जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत न करना उचित ठहराया जा सकता है। मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ***आर.बी.आई. बनाम एस. मणि*** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पुनः इस मामले पर विचार किया और यह निर्णय दिया कि प्रारंभिक प्रमाण का

भार श्रमिक पर था कि उसने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है। न्यायाधिकरण का यह विचार कि प्रमाण का भार नियोक्ता पर था त्रुटिपूर्ण माना गया।

बाटला कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

(एससीसी क्र.पृष्ठ 484-85 कंडिका 13)

"13. जहाँ तक 240 दिनों से अधिक काम करने के संबंध में दायित्व के प्रश्न का संबंध है जैसा कि इस न्यायालय ने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी.हादीमनी के मामले में कहा है, दायित्व श्रमिक पर है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत बनाम दयाभाई अमरसिंह में स्थिति की विस्तारपूर्वक जांच की गयी और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, श्री निवास, मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड के मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया।

11. ***आर. एम. येल्लाटी बनाम सहायक कार्यपालन अभियंता*** के मामले में उपरोक्त संदर्भित निर्णयों पर ध्यान दिया गया और निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

(एससीसी पृष्ठ 116, कंडिका 17)

"17. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है, कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही पर शब्दशः लागू नहीं होते हैं। यद्यपि सामान्य सिद्धांतों को लागू करते हुए और उपर्युक्त निर्णय को अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि, इस न्यायालय ने बार बार यह मत व्यक्त किया है कि यह साबित करने का भार दावेदार पर है कि उसने दिए गए वर्ष में 240 दिन काम किया है। केवल इससे तभी भारमुक्त हो सकते है जब कामगार गवाह के रूप में उपस्थित होता है । श्रमिक द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के ठोस साक्ष्य, प्रस्तुत करने पर ही उसे भारमुक्त किया जा सकता है। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, की सेवा समाप्ति के मामलों में नियुक्ति या समाप्ति का कोई पत्र नहीं होता है, भुगतान की कोई रसीद या प्रमाण भी नहीं होता है। इसलिए अधिकांश मामलों में, श्रमिक (दावेदार) केवल नियोक्ता से संबंधित अवधि, के लिए नियुक्ति व समाप्ति का पत्र, यदि कोई हो, वेतन पजी, उपस्थिति पंजी आदि न्यायालय के समक्ष, प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। इसके पश्चात प्रतिकूल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष निकालना अंततः प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि दावेदार श्रमिक द्वारा दिए गए मात्र शपथपत्र या स्व-हितकारी बयान किसी दिए गए वर्ष में 240 दिन काम करने के दायित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उपरोक्त श्रेणियों में यह भी कहा गया है कि दावेदार श्रमिक द्वारा छिपाने के किसी भी दावे के बिना केवल उपस्थित सूचियों का प्रस्तुत न करना ही न्यायाधिकरण के लिये प्रबंधन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं होगा। अंत में, उपरोक्त निर्णय से मूल सिद्धांत स्थापित किया गया है अर्थात, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वे गलत न हो। यह प्रक्रिया प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15 . ***छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (सी. जी.) और अन्य***[3] के मामलों में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"13. उपरोक्त सुस्थापित विधि सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (च) के अंतर्गत छंटनी का मामला है, क्योंकि उत्तरवादी क्र.02/कामगार यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने विगत वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया है। दूसरा, न्यायालय के समक्ष उठाया गया चिन्हांकित प्रश्न जिसे दिनांक 30-9-1999 के आदेश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, पुनः उसी मामले को नहीं उठाया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्तानुसार वर्तमान वाद के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने पर रिट याचिका योग्यता हीन है।

17. फलस्वरूप रिट याचिका विफल होती है एवं एतद् द्वारा खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण</u>

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी

अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur